न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भूअभिलेख अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0

पीठासीन अधिकारी : मनोज मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 :– 132 / 2020 प्रस्तुति दिनांक:– 13/10/2020

GCMS :- 2020/00350

नत्थुराम उर्फ नवीन पुत्र श्री बंशीलाल जाति बिश्नोई निवासी पदमपुर हाल आबाद जानकीदासवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राज0 ......प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार ....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र नाम दुरूस्ती हेतु ।
अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

1. श्री राकेश सारस्वत, अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्रीमान तहसीलदार (अप्रार्थी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

निर्णय दिनांक:– 13/10/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के 6 एसडी खाता नं0 65/33 प0न0 105/402 (31) कि0न0 1 ता 21/5.313 है0 खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 चक 6 एसडी खाता नं0 65/33 की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल पत्रावली है। इसके अलावा प्रार्थी के नाम से चक 7 एसडी खाता नं0 60/30 प0न0 101/398 (44) कि0न0 16,17,21 ता 25/1.771 है0, प0न0 100/398 (45) कि0न0 11,20 ता 22/1.012 है0 कुल 2.783 है0 खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 चक 7 एसडी खाता नं0 60/30 की प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल पत्रावली है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **नवीन** के स्थान पर **नत्थुराम** दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम **नवीन** दर्ज हैं।

राजस्व रिकार्ड में नाम **नत्थुराम** व पहचान के दस्तावेजो में नाम **नवीन** दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है एवं ना ही उक्त भूमि को बैंक के रहन रखकर केसीसी उठाकर कृषि कार्य में उक्त ऋण राशि का प्रयोग नही कर पा रही हैं ओर साथ ही फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषक पैन्शन योजना के लाभ से भी प्रार्थी वंचित हो रहा है। प्रार्थी द्वारा अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु कई बार तहसील परिसर के चक्कर लगा चुका है। परन्तु हर बार प्रार्थी को राजस्व कर्मचारियो द्वारा सक्षम अदालत में जाने का कहकर प्रार्थी का नाम दुरूस्त नही किया जा रहा है। प्रार्थी का सही एवं सत्य नाम **नवीन** है। **नत्थुराम** व **नवीन** दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। बतौर साक्ष्य सरपंच ग्राम पंचायत जानकीदासवाला की रिपोर्ट दिनांक 13.08.2020 व सहकाश्तकरो का शपथ पत्र शामिल पत्रावली है।

..............लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्व रिकार्ड तहसील सूरतगढ के चक 6 एसडी खाता नं0 65/33 प0न0 105/402 (31) कि0न0 1 ता 21/5.313 है0 खातेदारी भूमि में दर्ज 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि व चक 7 एसडी खाता नं0 60/30 प0न0 101/398 (44) कि0न0 16,17,21 ता 25/1.771 है0, प0न0 100/398 (45) कि0न0 11,20 ता 22/1.012 है0 कुल 2.783 है0 खातेदारी भूमि में दर्ज 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि की जमाबंदी में प्रार्थी अपना नाम **नत्थुराम के स्थान पर नत्थुराम उर्फ नवीन** दर्ज करवाना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जंमाबदी चक 6 एसडी खाता नं0 65/33 व चक 7 एसडी खाता नं0 60/30 में में प्रार्थी का नाम नत्थूराम के स्थान पर नत्थूराम उर्फ नवीन दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र पस्तुत होने पर दिनांक 20.08.2020 को मूल प्रार्थना पत्र प्रेषित कर तहसील की रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 31.08.2020 को रिपोर्ट की गई। बाद रिपोर्ट दिनांक 04.09.2020 को तहसीलदार सूरतगढ द्वारा आगामी कार्यवाही हेतु मूल प्रार्थना पत्र इस न्यायालय को लौटाया गया। जो दर्ज किया जावें।

प्रकरण दर्ज होने पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील सूरतगढ के चक 6 एसडी खाता नं0 65/33 प0न0 105/402 (31) कि0न0 1 ता 21/5.313 है0 खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं चक 7 एसडी खाता नं0 60/30 प0न0 101/398 (44) कि0न0 16,17,21 ता 25/1.771 है0, प0न0 100/398 (45) कि0न0 11,20 ता 22/1.012 है0 कुल 2.783 है0 खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि जमाबंदी पटवार वाके दर्ज है। प्रार्थी के खातेदारी भूमि रिकार्ड में प्रार्थी का नाम **नवीन** के स्थान पर **नत्थुराम** दर्ज कर दिया गया हैं। जबकि राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड में प्रार्थी का नाम **नवीन** दर्ज हैं।

राजस्व रिकार्ड में नाम **नत्थुराम** व पहचान के दस्तावेजो में नाम **नवीन** दर्ज होने के कारण प्रार्थी सरकारी योजनाओ का लाभ नही ले पा रहा है एवं ना ही उक्त भूमि को बैंक के रहन रखकर केसीसी उठाकर कृषि कार्य में उक्त ऋण राशि का प्रयोग नही कर पा रही हैं ओर साथ ही फसल नष्ट होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री कृषक पैन्शन योजना के लाभ से भी प्रार्थी वंचित हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जंमाबदी चक 6 एसडी खाता नं0 65/33 व चक 7 एसडी खाता नं0 60/30 में में प्रार्थी का नाम नत्थूराम के स्थान पर नत्थूराम उर्फ नवीन दर्ज किया जावें।

बहस सुनी गई। पत्रावली में शामिल पत्रावली दस्तावेजो व पटवारी रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली अवलोकन से पूर्णतया साबित हैं कि नवीन व नत्थूराम दोनो एक ही व्यक्ति है। जिसे प्रार्थी द्वारा अपने शपथ पत्र व सहकाश्तकारो के शपथ पत्र तथा ग्रांम पंचायत की रिपोर्ट से पूर्णतया साबित किया है। अतः हम प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता हैं चक 6 एसडी खाता नं0 65/33 प0न0 105/402 (31) कि0न0 1 ता 21/5.313 है0 खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में एवं चक 7 एसडी खाता नं0 60/30 प0न0 101/398 (44) कि0न0 16,17,21 ता 25/1.771 है0, प0न0 100/398 (45) कि0न0 11,20 ता 22/1.012 है0 कुल 2.783 है0 खातेदारी भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम नत्थूराम पुत्र बंशीलाल के स्थान पर नत्थूराम उर्फ नवीन पुत्र बंशीलाल दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार सूरतगढ को दिये जाते हैं। आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावें।

आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:26:30 IST
Reason: SelfAttested